ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-10*November- 2021
Innovation The Research Concept

# भारत-भूटान संबन्धः अतीत का अवलोकन

# India-Bhutan Relations: An Overview of the Past

Paper Submission: 10/11/2021, Date of Acceptance: 22/11/2021, Date of Publication: 23/11//2021

**महेन्द्र कुमार शर्मा**
सविंदा व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
गंगापुर सिटी, सवाई
माधोपुर, राजस्थान, भारत

**सारांश**

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध में रिश्तों के समीकरण बनते व टूटते रहते है। जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है उसका प्रछन्न रूप कुछ और ही होता है। प्रछन्न स्वरूप का निकटतम ज्ञान होने से दो राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों की चर्चा अधिक सार्थक सिद्ध होती है। यदि छोटे राष्ट्र के दृष्टिकोण व अनुभव को अपेक्षाकृत महत्व दिया जाय। भारत एक बड़ा राष्ट्र है और भूटान छोटा। भूटान के दृष्टिकोण व उसकी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए आदर्श व प्रस्तुत लेख में विश्लेषण का प्रयास किया है। यथार्थवाद के सिद्धान्त का भी ध्यान रखा गया है।

भारत-भूटान सम्बन्ध का इतिहास यद्यपि लम्बा है लेकिन यहॉ कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया गया है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्व रखते हैं। पिछले कुछ महीनों से यह कहा जाने लगा है कि भूटान का रूख भारत के प्रति उदासीन हो रहा है और उसकी विदेश नीति में अधिक परिवर्तन दिखाई देने लगा है जो भारत के राष्ट्रीय हितों के सर्वथा प्रतिकूल रहेगा। इन समाचारों में कितनी सत्यता है यह तो नहीं कहा जा सकता परन्तु तथ्यों को और निकट दृष्टि से गौर करें तो यह स्पष्ट लगता है कि जो देखने में आ रहा है वह यथार्थ नहीं है।

Poor quality in interactions that are visible. Knowing the disguised form makes the most skilled among the two nations. Briefs are important from the point of view and experience of the nation. India is a big nation and a small one. Keeping in mind Bhutan's point of view and its sensibilities, an attempt has been made to analyze it in the present article. The principle of realism has also been taken care of. Although the history of India-Bhutan relations is long, some issues have been raised here which are of more importance in the present context. For the past few months, it has been said that Bhutan's attitude is becoming indifferent towards India. And more changes are visible in its foreign policy, which will be completely against the national interests of India. How much truth is there in these news, it cannot be said, but if you look at the facts more closely, then it seems clear that what is being seen is not true.

**मुख्य शब्दः** प्रच्छन्न, पर्वतीय राज्य, सार्वभौमिक, कूटनीति, वैमनस्यता, पिछलग्गू, सार्वभौमिक, अवमूल्यन

**Keywords:** Disguise, Mountain State, Universal, Diplomacy, Animosity, Hanger, Universal, Devaluing

## प्रस्तावना

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत भूटान संबंध में कोई अन्तर नहीं आया है चाहे भूटान अन्य स्त्रोतों से आर्थिक सहायता ले या भूटान अन्य देशों में कूटनीतिक संबंध कायम करे या भूटान अन्तराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का विरोध करे। इस तथ्य में कोई दो मत नहीं है कि भारत भूटान दोनों के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में बराबर संतुलन बना हुआ है। जिस क्षण हितों की पूर्ति में अधिक असंतुलन आयेगा उस दिन भूटान निस्संदेह सीमा का उल्लंघन करने में नहीं हिचकिचायेगा। भारत की नीति ने आदर्श व यथार्थ में निरन्तर संतुलन बनाये रखा है और नये संदर्भ में भी भारत की भूटान के प्रति नीति यथार्थ से हटकर कभी नहीं रही अर्थात राष्ट्रीय हितों का हमेशा ध्यान रहा है। कभी-कभी भारत पर यह आरोप लगाया गया है कि उसकी भूटान के प्रति तुष्टि की नीति रहीं है। यह आरोप उचित सा नहीं लगता है। भूटान की शंकाओं को दूर करना तथा सहानुभूति भाव से वार्ता करना तुष्टि की नीति नहीं कही जा सकती । कठोर नीति अपनाने से तो शंकाए और भी बल पकड़ती हैं जिससे समस्याएं सुलझने के बजाय उलझती ज्यादा है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत की विदेश नीति में यथार्थ तो हमेशा साथ रहा है लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक सहायक रहा है। दार्शनिक दृष्टिकोण का अर्थ कभी भी आदर्शत्मक नहीं लेना चाहिये क्यांेकि दर्शन तो यथार्थ का अभिन्न अंग है।

## शोधविधि

वर्णनात्मक, प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत, विभिन्न पत्र पत्रिकायें, शोध निर्देशक से प्राप्त विभिन्न लेख पुस्तके प्रदत्त ज्ञान।

**अध्ययन उद्देश्य**

भारत जितना विषाल काय देश है भूटान उतना ही लघु देश है। लेकिन भारत-भूटान संधि के माध्यम से यह निर्धारित करना कि कानूनी दृष्टि से भूटान आज भी उन नियमों में भारत से बंधा है जो कि पर स्तर सम्बन्धों को और भी विविध में प्रगाढ़ता प्रदान करता है इस लेख का प्रमुख उद्देष्य है कि आज की विश्व जनता को यह परिचय देना कि भारत प्राचीनकाल के आज तक भूटान के सम्बन्धों को उचित स्थान देते हुए सफल नितियों के अन्तर्गत संचालित कर रहा है भारत की ऐसी सोच नहीं है कि छोटे देश को जिस तरह से प्रताडित व दोहन करना जो कि बडे देशों का उद्देश्य रहता है ऐसा इन सम्बन्धों में विल्कुल भी नहीं है।

**विषय विस्तार**

प्रारम्भिक काल- भारत भूटान संबंध का श्री गणेश 1949 की संधि से प्रारम्भ होता है और संधि की धारा 2 के अनुसार ''भारत भूटान के विदेशी मामले में परामर्श देगा।'' धारा दो का अर्थ या उसकी व्याख्या विशेषज्ञों ने अलग-अलग दृष्टिकोण से की है। किसी ने भूटान के दर्जे को अर्द्ध सार्वभौमिक मात्र तो किसी ने भूटान को भारत का आरक्षित राज्य कहा लेकिन जो व्याख्या भारत तथा भूटान के बीच पारस्परिक समझ व सूझबूझ के द्वारा सामने आई है उसको तरीके से नहीं समझा गया है। यही कारण है कि भारत भूटान के सम्बन्धों मे यदा कदा मलीनता की झलक भी दिखाई दी ।

1949 की संधि के बाद से और आज तक यदि कभी भूटान ने भारत को गलत समझा तो केवल एक मुद्दे पर और वह संधि की घारा दो जो उसके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर या दर्जे को स्पष्ट नहीं करती । संधि की पूर्ति का भारत की पर्वतीय नीति प्रारम्भ से कुछ इस प्रकार रही है। कि जिसने अथक प्रयासों के बावजूद पर्वतीय राज्यों के निवासियों को सही दिशा में सोचने का मौका नहीं दिया। इस सम्बन्ध में चाहे वह नेपाल हो या भूटान चाहे कश्मीर हो या उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र। भारत की नीति में एकरूपता न होने के कारण भिन्न-भिन्न पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों ने भारत को गलत समझा यद्यपि भारत की नीति उन सभी के लिये लाभ पहुचाने के उद्देश्य से ही क्यों न की गयी हो परन्तु व्यावहारिक स्वरूप ने यदा कदा कुछ ऐसी दिशा ली जिसके कारण भारत को गलत समझा गया और उसका फायदा उन पडौसी देशों ने लिया जो भारत के विरूद्ध आजादी के बाद से ही वैमनस्यता का भाव देखते रहे।

इसी संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि भूटान का दृष्टिकोण 1949 की संधि के बाद से किस प्रकार बदलता रहा, जिसमें अन्य शक्तियों का कितना हाथ है तथा भूटान की भौगोलिक स्थिति दोनों देषों के लिये कितनी महत्वपूर्ण है तथा भूटान की राजनीतिक आकांक्षाऐं उत्तरोत्तर कितने अंश तक बढ़ती गई जिसके उत्तर में भारत ने उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति में कितना योगदान दिया ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनका उत्तर इस लेख में देने का प्रयास किया गया है।

1949 की संधि बाद भूटान ने विदेशियों के प्रवेश के लिये अपने द्वार बंद किये। यहां तक कि भारत के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित रखा, लेकिन ज्यो-ज्यों भूटान के शासक वर्ग भारत की नीति को समझते गये उसी अनुपात में कठोर नीति में ढिलाई आती गई। भारत की नीति इस दौरान में एक पक्षीय कही जा सकती है लेकिन निरन्तर व निष्ठापूर्ण व्यवहार ने भूटान के राजा को विश्वास दिलाया कि भारत हमेशा उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में सहयोग देता रहेगा। 1958 में स्व0 जवाहरलाल नेहरू की कष्टप्रद भूटान की यात्रा ने भारत को अधिक नजदीक से समझने का मौका दिया। इस यात्रा के बाद से भूटान ने भारत के बन्द दरवाजों को खोल दिया। भूटान की नीति में नरमाई की झलक मिलती ही गई। इस यात्रा से पूर्व कहा भूटान भारत की दी गई किसी भी आर्थिक सहायता को भी स्वीकार नहीं करता था परन्तु यात्रा के बाद भारत के दिये गये सुझावों को स्वीकार करने की झडी सी लग गई। भूटान ने भारत के उस सुझाव को सहर्ष स्वीकार किया जो आर्थिक विकास योजना से सम्बन्धित था। 1961 से प्रथम पंचवर्षीय योजना का सिलसिला शुरू हुआ जिसका आज तक निर्वाह हो रहा है। सन्धि की धारा दो जिसने भूटान के शासक वर्ग में संदेह उत्पन्न कर दिये थे वे धीरे धीरे मिटते गये । 1971 में भूटान के राजा ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने की इच्छा व्यक्त की और भारत के अथक प्रयास से भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना । भूटान कोलम्बो योजना का सदस्य भी बना और धीरे धीरे अन्य अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता जा रहा है। भूटान के प्रतिनिधि भिन्न-भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्वतन्त्र राय व्यक्त बड़ी ही बुलन्दी से करते है।

1961 से और आज तक भूटान की पंचवर्षीय योजना मे ंभारत की आर्थिक सहायता सर्वाधिक रही है। पहली दो पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिए भारत ने शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता दी । प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत ने 1750 लाख रूपया दिया और दूसरी में 2000 लाख। लेकिन तीसरी न चैथी पंचवर्षीय योजना में भारत की आर्थिक सहायता के अलावा भूटान ने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त की है। भूटान अब कोलम्बो योजना व संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं से भी आर्थिक सहायता लेने लगा है। ऐसा कहा जाने लगा है कि भूटान अब धीरे-धीरे भारत के पूर्ण प्रभुत्व से हटता जा रहा है और भारत के प्रति रूखा व्यवहार दिखाने लगा है। यह बात अधिक उचित नहीं लगती । यदि आर्थिक सहायता क ै दृष्टिकोण को रखकर यह बात कही गई है तो और भी अनुपयुक्त है। भारत तो प्रारम्भ से यही कामना करता रहा है कि भूटान एक स्वतन्त्र तथा दबंग राष्ट्र के रूप में उभरे। यदि भूटान अन्य देशों से आर्थिक सहायता

लेने लगा है तो इससे यह बात तो स्पष्ट नहीं होती कि भूटान के भारत से सम्बन्ध कुछ हल्के पड़ रहे हैं। 1949 से 1961 तक भूटान ने जब भारतवासियों के लिये द्वारा बन्द किये थे वह विशेष अवधि एकान्त तथा दूसरे देशों के प्रति शंका का काल था । परन्तु 1961 से और आज तक भूटान की नीति में एक प्रकार से सूझबूझ व समझ में परिपक्वता की झलक मिलती है। भारत को सतर्कता हमेशा उसके व्यावहारिक पक्ष पर रही है। जिसने भूटान को कभी संदेह नहीं होने दिया कि भारत कभी भी उसके प्रति अहित की सोच सकता है। कभी कभी महत्वपूर्ण घटना चक्रों ने भूटान को संदेह के लिए मौका अवश्य दिया लेकिन विशेष संदेहों को तुरन्त ही मिटाने का प्रयास किया गया जिससे संदेह इतने गहरे न हो जायें जिनको मिटाना मुश्किल हो। यह सच है 1962 में चीन के साथ युद्ध होने के कारण भूटान में चीन के प्रति अधिक घातक तथा भय बैठ गया जिसके परिणामस्वरूप आज भी भूटान निर्णायात्मक दृष्टि से फैसला नहीं कर पाया है कि क्या उसको चीन से सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये। चीन के बारे में भूटान की संसद में बार-बार यह मुद्दा सामने आया है और विषय भी बना है कि क्या अब समय आ गया है कि भूटान चीन से कूटनीतिक सम्बन्ध रखे । इस प्रश्न को भूटान नरेश जिसमे सिंघे बांगचुक 28 वर्षीय ने किसी न किसी आवरण में अपने संसद सदस्यों को टालने के लिए समझाया है। भूटान का चीन के बारे में भय अभी भी व्याप्त है जिसके कारण उक्त विवादास्पद विषय टलता ही जा रहा है। चीन की ललक भूटान के प्रति मात्र इसलिये है कि भारत का उस पर प्रभाव कम हो वैसे चीन 1949 से ही भारत भूटान के विशेष सम्बन्धों को हदय से स्वीकार नहीं कर पाया था जिसके कारण उक्त सम्बन्धों को कोई मान्यता नहीं दी । भूटान का भारत के प्रति बदला हुआ रूख
बात से भी कहा जाने लगा है कि भूटान की घडी भारतीय समय से आघा घण्टे आगे चलती है और वहां के मूल निवायिों को उस समय अधिक परेशानी होती है जब कोई भारतीय अपने देश की घड़ी के अनुसार समय बताता है। इस परेशानी की अभिव्यक्ति को भारत के प्रति यदि बदला हुआ रूख बतलाया जाता है तो यह निराधार ही तर्क है। हर विकासशील राष्ट्र की राजनीतिक आकांक्षाएॅ होती है और सच्चे राष्ट्रवाद की झलक इन्हीं छोटी-छोटी बातों से मिलती है। भूटान एक स्वतन्त्र सार्वभौमिक राष्ट्र है और उसे अपनी घड़ी के समय को निर्धारित करने की स्वतन्त्रता है। भूटान यदि अपने देश के समय को अलग करना चाहता है तो क्या आपत्ति हो सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भूटान ने भारत का विरोध किया है या महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत को समर्थन नहीं दिया। उदाहरण के लिये कंपूचिया के मामले में भूटान ने भारत का विरोध किया। विरोध करने का अर्थ कभी यह नहीं है कि भूटान भारत के सम्बन्धों में अन्तर आ रहा है। कई मामलों में भूटान ने भारत को समर्थन दिया लेकिन समर्थन देने का अर्थ कभी यह नहीं लगाना चाहिए कि भूटान भारत का विछलग्गू है। बांगला देश को यदि भारत के बाद कोई दूसरा देश मान्यता देने वालों में था तो वह भूटान था उस समय भी कुछ इस प्रकार के मत प्रकाशित हुए जो भूटान के स्वाभिमान को आघात पहूँचाने वाले थे। उदाहरण के लिए पड़ौसी राष्ट्रों द्वारा भूटान का उपहास किया गया और यह कहा तथा कि भूटान भारत का क्यों ने समर्थन करे उसकी तो विदेश नीति भारत के हाथ में है। चीन तो खुले शब्दों में भारत पर आरोप लगाता रहा कि भारत विक्किम की तरह भूआन को भी हडप लेना चाहता है। इस प्रकार की प्रकाशित सूचनाओं ने भूटान को यदा कदा भकझोरा भी है तथा भारत को गलत समझने का पूरा मौका दिया है। इसी कारण भूटान नरेश ने अपने बयान में 1949 की सन्धि में संशोधन करने का भारत से आग्रह किया था। यह बयान उस समय दिया था जबकि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन हवाना में शामिल होकर अपने देश लौट रहे थे। सन्धि के संशोधन की बात भूटान नरेश ने की तो थी लेकिन अपने बयान को तुरन्त स्पष्ट करते हुए तथा भारत की नीति की सराहना करते हुए कहा ''भारत भूटान सन्धि व्यवहार में सफल जा रही है। लिखित में क्या है वह महत्पूर्ण नहीं'' भूटान नरेश भारत के प्रयासों के बारे में सार्वजनिक रूप से सराहना करते रहे हैं। साथ में भारत के हितों के बारे में भी भूटान अनभिज्ञ नहीं है। भूटान 1949 की सन्धि से किसी भी प्रकार से भारत से बन्धा हुआ नहीं है। सन्धि की धारा नं. 10 के अनुसार दोनों देशों की पारम्परिक सहमति से सन्धि की समाप्त किया जा सकता है। भूटान ने अपने इस लम्बे अवधि का अनुभव बड़े गौर से किया है जिसने उसे रूप में आश्वस्त कर रखा है कि उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति भारत के गाथ अट्ूट सम्बन्ध बनाये रखने में है तोड़ने में नहीं ।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से स्वयं सेवी योजना के अन्तर्गत पश्चिमी देशों से या तो नवयुवक प्रशिक्षित लोग भूटानियों को प्रशिक्षण देने हेतु भूटान में आने लगे है। आज उनकी संख्या 20 हो गई है और भारतीय विशेषज्ञ वहां से अपने देश वापिस लौट रहे है। उक्त विशेषज्ञों को भूटान सरकार की प्रार्थना पर भेजा गया है जिनकी संख्या 20 से 50 तक हो जायेगी। इस सूचना को कुछ इस प्रकार से लिया जा रहा है कि भारत भूटान संबंधों में अन्तर का रूप कहा जा सकता है। क्या भारत ने विदेशी विशेषज्ञों को अपने देश में स्थान नहीं दे रखा है। क्या भारत तकनीकी के क्षेत्र में विदेशों से अधिक योग्य या कुशल होने का दावा रखता है? यदि इनका उत्तर हां में है तब भारत के लिये आपत्ति उठाने का प्रश्न उठ सकता है। परन्तु यथार्थ कुछ और ही है। भूटान में यदि भारतीयों के अलावा पश्चिमी देशों से विशेषज्ञों का आना शुरू हुआ है तो इससे यह तो हवाला नहीं निकलता कि भूटान भारत से अपना मुंह मोड़ने लगा है या भूटान भारत की किन्हीं मामलों में उपेक्षा करने लगा है। भारत की नीति भूटान के प्रति सहानुभूति तथा सहयोग की रही है। भूटान निवासियें के संदेहपूर्ण स्वभाव को भी भारत ने अच्छी तरह जाना और समझा

है। संदेही लोगों के साथ सतर्कता की आवश्यकता होती है। साथ में धैर्य की । भारत सरकार ने 1949 से और आज तक धैर्य सहानुभूति तथा सतर्कता का परिचय दिया है। चीन ने 1962 के संकट अकाल से और पिछले कुछ वर्षो तक ऐसी कोई कसर नहीं उठा रखी थी जो भारत की विरोधी न रही हो। भूटान को भारत के विरूद्ध चीन ने क्या कुछ नहीं कहकर बहकाया होगा। परन्तु भूटान की सूझबूझ तथा प्रशासको की परिपक्वता ने भारत भूटान के अटूट संबंधों में कहीं भी कमी नहीं आने दी।

भूटान ने भारत के अतिरिक्त बल्ड बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अरब देशों में सहायता लेना आरम्भ कर दिया जिसके कारण यह कहा जाने लगा है कि भारत का भूटान पर वह प्रभुत्व नहीं रहा जो पहले था। अच्छे संबंधों का अर्थ यह कभी नहीं होता कि एक देश दूसरे के प्रति अपने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर वही करता रहे जो अतीत में कर रहा था। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार एक राष्ट्र की प्राथमिकताएं भी बदलती है। भारत और भूटान पारस्परिक सूझबूझ के द्वारा इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि भूटान भारत पर हमेशा के लिये निर्भर नहीं रह सकता और व्यावहारिकता भी यही कहती है कि एक राष्ट्र की अपनी कोई सार्वभौमिक स्वतत्रता नहीं है। यह तो भूटान के हित में ही है कि वह जहां तक हो भारत पर अपनी निर्भरता को कम करता जाये। पूर्ण निर्भरता अन्य देशों को सही दिशा में सोचने के लिये भी मौका नहीं देती । पहली दो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत की भूटान को शतप्रतिशत आर्थिक सहायता थी जिसके कारण पड़ौसी देशों ने विशेष रूप से चीन व पाकिस्तान ने भूटान के सार्वभौमिक स्तर का अवमूल्यन किया। वर्तमान के संदर्भ में जब भूटान के अपनी एक मात्र निर्भरता को कम किया तो यह कहा जाने लगा कि भारत भूटान संबंधों में कटुल आने लगी है। यदाकदा मतभेदों का हो जाना स्वाभाविक है परन्तु मतभेदों को अन्यथा लेना संतुलित या निष्पक्ष विचारों का परिचायक नहीं है। भारत भूटान संबंध को लेकर यह समाचार भी छापा गया कि भूटान के विकास और उत्थान के बारे में सोचने का अधिकार नई देहली का कम हो गया है।

## निष्कर्ष

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भारत -भूटान सम्बन्धों का विश्लेषण भूटान के दृष्टिकोण से यदि किया जाये तो निर्णय किसी हद तक सही बैठेगा। इसी आधार को लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों की चर्चा हुई है 1949 की संधि की आपत्ति जितनी पडौस के देशों ने की है उतनी भूटान स्वयं के भी नहीं की होगी। भूटान ने यद्यपि यदाकदा भारत को गलत समझा है लेकिन उन क्षरणों में भूटान के अधिकारी वर्ग के सोचने की दिशा बाहरी विचारधारा से अधिक प्रभावित हुई जिसके फलस्वरूप भारत विरोधी भावना की अभिव्यक्ति सामने आई । परन्तु इस सम्बन्ध में भूटान नरेश की प्रशंसा करनी होगी कि तत्कालीन राजा जिम्मेसिंह वांगचुक तथा उनके स्वर्गीय पिता जिग्मेदौरजी वांगचुक दोनों ने ही कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठायें। भूटान के अधिकारी वर्ग अपने देश की सीमाओं व परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं है। भूटान नरेश अपने देशवासियों की धारा दो का अर्थ अन्य पड़ौसी देश कुद भी लगाते रहे लेकिन व्यवहार में जिस सफलता से संधि का पालन हो रहा है वही अच्छे संबंध कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *श्री कान्त दत्त भारत तथा हिमालयी राज एशियन ऐफेयर्स फरवरी 1980*
2. *बी.पी मैनन The integration of Indian states-London,1956*
3. *Asian Relations Conference- March April,1947 report of proceeding New Delhi 1948*
4. *Asian Survey vol. XVII No 2- Feb, 1978*
5. *आर.सी. मिश्र भारत भूटान संबंध*
6. *Sikkim Join the Mother Land (1977)*
7. *India's Aid to Bhutan , SAN Jamp (1082)*
8. *India's Allition to Bhutan*
9. *राममनोहर लोहिया धरती माता (1983)*
10. *Kuensel (Bhutan Weekly Bulletin) - 1980-86*